विहार-विधान-सभा-वादवृत्त।

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एक विधान-सभा का कार्य-विवरण

सभा का अधिवेशन पटने के सभा-सदन में वृहस्पतिवार, तिथि १० जुलाई १९५२ को ११ बजे पूर्वाह्न में माननीय अध्यक्ष श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद वर्म्मा के सभापतित्व में हुआ।

अल्प-सूचना प्रश्नोत्तर।

SHORT-NOTICE QUESTIONS AND ANSWERS.

UNAUTHORISED CUSTODIANS OF GOVERNMENT GRAIN GOLA.

92. Shri JITU RAM : Will the Minister-in-charge of Supply and Price Control Department be pleased to state—

(a) whether it is a fact that some custodians have been appointed without executing a registered agreement and without a security deposit of Rs. 5,000 approved by Government;

(b) whether it is a fact that huge quantities of grains have been kept in their custody for which they will not be held responsible, if damaged or stolen;

(c) if the answer to the above clause be in the affirmative, do Government propose to suspend such unauthorised custodians for the safety of Government grain?

Shri HARINATH MISRA : (a) Stockists were appointed on terms communicated to them by letter. They were all asked to execute agreements on the prescribed form and deposit security. Some of them have not done so and have instead filed representations accepting other terms and asking for an enhanced rate of commission because of alleged special difficulties in Purnea district.

(b) The answer is in the negative. In absence of formal agreement executed on the prescribed form the transactions will be governed by the correspondence exchanged between parties and Govenment and by the Indian Contract Act, and the stockists shall be responsible for any loss to Govenment through their negligence.

(c) Government will replace non-agreement stockists by stockists who have executed agreements on the prescribed form, as soon as as possible.

श्री जीतू राम—सरकारी हुक्म के मुताबिक पहले जो कस्टोडियन्स बहाल हुए थे और

एग्रीमेंट एग्जिक्यूट किये थे उनको छोड़ कर क्या जरूरत पड़ी कि पीछे से और कस्टोडियन्स बहाल किये गये?

सामान्य प्रशासन।

GENERAL ADMINISTRATION.

Shri KRISHNA BALLABH SAHAY: Sir, with your permission I beg to move:

That a supplementary sum not exceeding Rs. 7,33,855 over and above the provisions in the Bihar Appropriation (No. 2) Act, 1952, as passed by the Bihar Legislature, be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1953, in respect of "General Administration" for the new schemes indicated in the Schedule at pages 4 to 5 of the First Supplementary Statement of Expenditure.

The motion is made on the recommendation of the Governor.

पोलिटिकल एवं अप्वाएन्टमेन्ट डिपार्टमेन्ट में अफसरों की बहाली।

APPOINTMENT OF OFFICERS IN THE POLITICAL AND APPOINTMENT DEPARTMENTS OF THE SECRETARIAT.

Shri BHUBNESHWAR PANDEY: Sir, I beg to move:

That the item of Rs. 6,960 for General Administration—Civil Secretariat—Political and Appointment Departments be reduced by Re. 1.

अध्यक्ष महोदय, हमलोग देखते हैं कि जेनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन दिन-ब-दिन टौप हेवी होता जा रहा है। अभी अफसरों की बहाली के लिये जिस रकम की स्वीकृति हमलोगों के सामने है, उसपर मैं एतराज करता हूँ। जेनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन के बारे में आम शिकायत है कि जितने नये विभाग खुलते हैं, उतना ही काम गड़बड़ा जाता है और खर्च बढ़ जाता है पर लोगों को कुछ भी फायदा नहीं होता है।

एक ओर तो कहा जाता है कि इकोनौमी की जा रही है और जब दूसरी ओर हम देखते हैं कि इस विभाग के लिये उस महकमे के लिये रुपया चाहिये तब यह समझ में नहीं आता है कि सरकार की इकोनौमी पौलिसी किस तरह की है। हमारे सूबे में दूसरे सूबों से ज्यादा टैक्स लोगों को देना पड़ता है। नतीजा यह होता है कि लोग टैक्स के बोझ से लदते जा रहे हैं। जिन लोगों के हाथ में शासन की बागडोर है, उनको देखना चाहिए था कि कहां खर्च कम किया जा सकता है।

अध्यक्ष—किस अफसर की बहाली की जरूरत नहीं है, वह बतावें।

श्री भुवनेश्वर पांडे—माल मंत्री ने जिस विभाग के खर्च के लिये मांग पेश किया है, उसकी क्या जरूरत है और इसके बिना काम नहीं चल सकता है इस बात को नहीं बताया है। मेरे ख्याल से इस विभाग की कोई जरूरत नहीं है और लोगों को फायदा के बदले दुख होगा। इस विभाग के लिये मांग पेश करना अन्याय है। जब तक हम नहीं समझ जाते हैं कि इसके बिना शासन ठीक से नहीं चल सकता है तब तक इसके लिये मंजूरी देना उचित नहीं है।

श्री कृष्ण वल्लभ सहाय—अध्यक्ष महोदय, आपको मालूम है कि सेक्रेटेरियट में संगठन को फिर से सुन्दर बनाने के लिये बिहार सरकार ने अपने एक अफसर को विलायत भेजा था कि वे जाकर देखें कि वहां किस तरह से काम होता है और उसी आधार पर यहां के सेक्रेटेरियट को ऑर्गेनाइज करें। वह अफसर अग्रवाल साहब थे। विलायत से लौटने के बाद वे एक साल तक यहां ऑर्गेनाइजेशन का काम करते रहे। और वह चले गए डिसट्रिक्ट में और वह सिद्धांत जिस पर सेक्रेटेरियट का रिऑर्गेनाइजेशन हो सकता था उन्होंने निर्धारित कर दिया जिसको सरकार ने मंजूर कर लिया। मगर तब भी रिऑर्गेनाइजेशन का कुछ काम बाकी रह गया है। इसलिये डिप्टी ऑर्गेनाइजेशन और मेथड ऑफिसर को रखना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं किया जायगा तो जितना रुपया अभी तक एक अफसर को विलायत भेजने में खर्च किया गया और एक वर्ष उनके सेक्रेटेरियट में रह कर काम करने में जो रुपया खर्च हुआ वह सब बेकार चला जायगा। सेक्रेटेरियट में बहुत सा डुप्लीकेशन भी एभोआएड कर दिया गया है। उदाहरण के लिये मैं आपसे कहता हूं—

पहले एक्साइज डिपार्टमेन्ट से जो चिट्ठी आती थी उस पर रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट में फिर नोटिंग होती थी ऑफिस में और तब सेक्रेटरी के यहां जाने के बाद मिनिस्टर तक वह पहुंचती थी। अब एकसाइज कमिश्नर की जो चिट्ठी होती है उस पर कोई सेपरेट नोटिंग रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट में नहीं होती। सीधे सेक्रेट्री के यहां आती है और मिनिस्टर के यहां चली जाती है। बीच में किरानी का लिंक ओमिट हो गया। इसी तरह काम करना है। इस तरीके से खर्च में कमी हुई है और काम भी क्विकर होता है। इस लिये डिप्टी ऑर्गेनाइजेशन और मेथड ऑफिसर को रखना जरूरी है क्योंकि मैं इस काम को छोड़ना नहीं चाहता हूं।

अध्यक्ष—एक वर्ष के लिये है।

श्री कृष्ण वल्लभ सहाय—जी हां।

श्री भुवनेश्वर पांडे—अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मंत्री के बयान से साफ जाहिर हो गया कि एक अफसर को सरकारी खर्च से विलायत भेजा गया और फिर एक वर्ष उनको सेक्रेटेरियट में रखा गया कि अपने अनुभव को यहां कार्यान्वित करें। तो जहां इतने सेक्रेट्रीज, डिप्टी सेक्रेट्रीज और अन्डर-सेक्रेट्रीज हैं क्या उनमें से किसी को इस काम को नहीं सौंपा जा सकता कि एक खास अफसर इतने खर्च पर बहाल किया जाय? क्या इन अफसरों को अभी तक वह अनुभव नहीं हुआ? क्या चीफ सेक्रेट्री और दूसरे सेक्रेट्रीज इस काम के लिये कम्पिटेन्ट नहीं समझे जाते हैं? अब तो सिर्फ जो प्रिन्सिपुल्स एक वर्ष तक उस अफसर ने कार्यान्वित किया उन्हीं को इन्स्टीच्युट करना है। जहां इतने अफसर हैं—हमारे चीफ मिनिस्टर के दो-दो पर्सनल असिस्टेन्ट्स हैं; चीफ सेक्रेट्री हैं; और भी अफसर बड़ी संख्या में जहां पड़े हुए हैं, वहां यह खर्च बढ़ा कर हमारा बोझ हल्का नहीं किया जायगा। इसलिये हमारा कहना यही है कि किसी एक अन्डर-सेक्रेट्री के ही जिम्मे यह काम कर दिया जाय और इसके लिये एक नया अफसर बहाल करने की जरूरत नहीं है।

माननीय अध्यक्ष—प्रश्न यह है :

That the item of Rs. 6,960 for "General Administration—Civil Secretariat" be reduced by Re. 1.

क्या प्रस्ताव के पक्ष में बहुमत है ?

श्री रामानन्द तिवारी—नहीं, विपक्ष में बहुमत है।

श्री कृष्णवल्लभ सहाय—हुजूर, अब माननीय सदस्य (श्री रामानन्द तिवारी) को 'विपक्षदल' के साथ लौबी में वोटिंग के समय जाना होगा।

Shri RAMCHARITRA SINHA : I am obliged to suggest, Sir that the hon'ble member must go to the 'no'-lobby when he has challenged Division by saying 'No'.

अध्यक्ष—हां, इस दफे जब प्रश्न पूछा जायगा और वह फिर ऐसा ही बोलेंगे तो वैसा ही करना होगा।

Shri KRISHNA BALLABH SAHAY : What will happen if he leaves the House just now and goes away ?

SPEAKER : He cannot go away. Members sitting out in lounges may come in ; but no member sitting here can go away.

प्रश्न यह है :

That the item of Rs. 6,960 for "General Administration—Civil Secretariat" be reduced by Re. 1.

किस तरह वोट लिया जाय यह तय करना है। मेरी दिक्कत यह है कि ठीक पांच बजे गिलोटिन शुरू करना है। हमारे सचिव कहते हैं कि पिछली दो बार जब डिविजन हुआ था तो ३५ और ३० मिनट समय लगा था। अब केवल २० मिनट पांच बजने में रह गए हैं। यदि इतने समय में विभक्त होकर मतदान दिया जा सकता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं।

श्री सिदुई हेमब्रोम—मैं उम्मीद करता हूँ कि २० मिनट में विभक्त होकर मतदान का काम समाप्त हो जायगा इसलिये यही करना अच्छा होगा।

अध्यक्ष—अच्छी बात है, सदस्यगण अब विभक्त होकर मतदान दें।

तब सभा इस प्रकार विभक्त हुई, यथा—

हां—४४।

१। श्री गोदानी सिंह।
२। श्री रामचरण सिंह।
३। श्री शिवभजन सिंह।
४। श्री रामनरेश सिंह।
५। श्री मुद्रिका सिंह।
६। श्री पवारथ सिंह।

७। श्री रामानंद तिवारी।
८। श्री राधा मोहन राय।
९। श्री देवी दयाल राम।
१०। श्री महामाया प्रसाद सिंह।
११। श्री राधा पांडेय।
१२। श्री रामसेवक शरण।
१३। श्री विवेकानंद गिरि।
१४। श्री वशीष्ठ नारायण सिंह।
१५। श्री धनपति पासवान।
१६। श्री सूर्य नारायण सिंह।
१७। श्री रमेश झा।
१८। श्री मोहित लाल पंडित।
१९। श्री बाबू लाल तुदू।
२०। श्री सुपाई मुरमू।
२१। श्री देवी सोरेन।
२२। श्री मदन बेसरा।
२३। श्री विलियम हेमब्रोम।
२४। श्री जीतू किस्कू।
२५। श्री भुवनेश्वर पांडेय।
२६। श्री गोकुल मेहरा।
२७। श्री बसंत नारायण सिंह।
२८। श्री विगन राम।
२९। श्री रामेश्वर प्रसाद महथा।
३०। श्री गौरी चरण सिंह।
३१। श्री पाल दयाल।
३२। श्री जगन्नाथ महतो, वकील, कुर्मी।
३३। श्री जुनूस सुरीन।
३४। श्री दलिय भगत।
३५। श्री इगनेस कुजुर।
३६। श्री श्रीश चन्द्र बनर्जी।
३७। श्री भीमचंद्र मेहता।
३८। श्री भूय अतुल चंद्र सिंह।
३९। श्री सिदुई हेमब्रोम।
४०। श्री अंकुरा हो।
४१। श्री उजेन्द्र लाल हो।

४२। श्री हरिपद सिंह।
४३। श्री मुकुन्द्रम तांती।
४४। श्री मनीराम संथाल।

ना—१०८।

१। श्री बदरी नाथ वर्मा।
२। श्री देवशरण सिंह।
३। श्रीमती सरस्वती चौधरी।
४। श्री महावीर प्रसाद।
५। श्री जगदीश नारायण सिंह।
६। श्री गिरिवरधारी सिंह।
७। श्री रामलखन सिंह यादव।
८। श्री रामकिशुन सिंह।
९। श्री राधाकृष्ण प्रसाद सिंह।
१०। श्री महावीर चौधरी।
११। श्री केशव प्रसाद।
१२। श्री जोगेश्वर प्रसाद खलिश।
१३। श्री रामनरेश सिंह।
१४। श्री गुप्तनाथ सिंह।
१५। श्री जगन्नाथ सिंह।
१६। श्री लक्ष्मीकान्त तिवारी।
१७। श्री हरिहर प्रसाद सिंह।
१८। श्रीमती सुमित्रा देवी।
१९। श्री हेमराज यादव।
२०। श्री नंद किशोर नारायण।
२१। श्री सगीरुल हक।
२२। श्री शंकर नाथ।
२३। श्री रामबसावन राम।
२४। श्री रामानन्द यादव।
२५। श्री गिरीश तिवारी।
२६। श्री यमुना राम।
२७। श्री राधा पांडेय।
२८। श्री ब्रजनंदन प्रसाद सिंह।
२९। श्री यमुना प्रसाद त्रिपाठी।

३०। श्री वीरचंद पटेल।
३१। श्री हरिवंश नारायण सिंह।
३२। श्री रामरूप प्रसाद राय।
३३। श्री यदुनंदन सहाय।
३४। श्री देवकीनन्दन झा।
३५। श्री बबुआ लाल महतो।
३६। श्री जयनारायण झा।
३७। श्री नरेन्द्रनाथ दास।
३८। श्री सकूर अहमद।
३९। श्री राजेश्वर प्रसाद सिंह।
४०। श्री मुहम्मद इल्यास।
४१। श्री सर्यू प्रसाद सिंह।
४२। श्री विंध्येश्वरी प्रसाद मंडल।
४३। श्री रास विहारी लाल।
४४। श्री पशुपति सिंह।
४५। श्री राघवेन्द्र नारायण सिंह।
४६। श्री शीतल प्रसाद भगत।
४७। श्री राम नारायण मंडल।
४८। श्री भोला पासवान।
४९। श्री मोहिउद्दीन मोख्तार।
५०। श्री बोकाई मंडल।
५१। श्री मुहम्मद ताहिर।
५२। श्री अब्दुल अहद मुहम्मद नूर।
५३। श्री कमल देव नारायण सिंह।
५४। श्रीमती पार्वती देवी।
५५। श्री जगदीश नारायण मंडल।
५६। श्री सदानन्द प्रसाद।
५७। श्री कृष्ण वल्लभ सहाय।
५८। श्री बी० दुबे।
५९। श्री भोलानाथ भगत।
६०। श्री राम रतन राम।
६१। कुमारी राजेश्वरी सरोज दास।
६२। श्री जीतू राम।
६३। श्री टीकाराम मांझी।
६४। श्री भरत मोची।

६५। श्री देवेन्द्रनाथ महता।
६६। श्री शिव चन्द्रिका प्रसाद।
६७। श्री देवारी चमार।
६८। श्री रंगबहादुर प्रसाद।
६९। श्री गोविन्द चमार।
७०। श्री रघुनाथ प्रसाद शाह।
७१। श्री शिव कुमार पाठक।
७२। श्री कमला राय।
७३। श्री जनार्दन सिंह।
७४। श्री गदाधर प्रसाद।
७५। श्री लक्ष्मी नारायण सिंह।
७६। श्री कृष्ण कान्त सिंह।
७७। श्री वैजनाथ सिंह ।
७८। श्री जगन्नाथ प्रसाद स्वतंत्र।
७९। श्री गणेश प्रसाद शाह।
८०। श्री रामसुन्दर तिवारी।
८१। मौलवी मशूद।
८२। श्री ब्रज बिहारी शर्मा।
८३। श्री शिवधारी पांडेय।
८४। श्री कुलदीप नारायण यादव।
८५। महंथ श्यामनंदन दास।
८६। डा० हबीब।
८७। श्री सरयुग प्रसाद।
८८। श्री हृदयनारायण चौधरी।
८९। श्री रामकृष्ण महतो।
९०। श्री काशीनाथ मिश्र।
९१। श्री वासुकीनाथ राय।
९२। श्री योगेन्द्र महतो।
९३। श्री कृष्णमोहन प्यारे सिंह।
९४। श्री मीठन चौधरी।
९५। श्री रामचरित्र सिंह।
९६। श्री द्वारका प्रसाद।
९७। श्री लहतन चौधरी।
९८। श्री भोली सरदार।
९९। श्री भोलानाथ दास।

१००। श्री पीरू मांझी।
१०१। श्री अनाथ कान्त वसु।
१०२। चौधरी मुहम्मद अफाक।
१०३। श्री अवध बिहारी दिक्षित।
१०४। श्री पुनीत राय।
१०५। श्री लक्ष्मण मांझी।
१०६। श्री भुवनेश्वर चौबे।
१०७। श्री गिरिजानन्दन सिंह।
१०८। श्री भागीरथी सिंह।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

सामान्य प्रशासन।
GENERAL ADMINISTRATION.

SPEAKER: The question is:

That a supplementary sum not exceeding Rs. 7,33,855 over and above the provisions in the Bihar Appropriation (No. 2) Act, 1952, as passed by the Bihar Legislature, be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1953, in respect of "General Administration" for the new schemes indicated in the schedule at pages 4 to 5 of the First Supplementary Statement of Expenditure.

The motion was adopted.

सामान्य-प्रशासन: परिगणित जाति, आदिवासी इत्यादी का कल्याण।
GENERAL ADMINISTRATION: WELFARE OF SCHEDULED CASTES, SCHEDULED TRIBES AND BACKWARD CLASSES.

SPEAKER: The question is:

That a supplementary sum not exceeding Rs. 69,370 over and above the provisions in the Bihar Appropriation (No. 2) Act, 1952, as passed by the Bihar Legislature, be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1953, in respect of "General Administration: Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Classes" for the schemes indicated in the schedule at pages 5 to 6 of the First Supplementary Statement of Expenditure.

The motion was adopted.

न्याय शासन
ADMINISTRATION OF JUSTICE.

SPEAKER: The question is:

That a supplementary sum not exceeding Rs. 68,000 over and above the provisions in the Bihar Appropriation (No. 2) Act, 1952, as passed by the Bihar Legislature, be granted to defray the charges